संख्या0-1/विविध-38/2018-1375(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 6 /12 /2018

विषयः- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 18,07,63,834/-(रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौंतीस) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-884(1), दिनांक-11.08.2015 द्वारा वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 11,69,10,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख दस हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- योजना के कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को आवंटनादेश सं0-47(1)ब0, दिनांक-11.08.2015 द्वारा योजना की कुल राशि रू0 11,69,10,000/- मात्र का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

3- इसी क्रम में कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-1816, दिनांक-21.07.2018 द्वारा 100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता को दृष्टपथ रखते हुए, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु रू0 12,23,08,834/- मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल लागत रू0 18,07,63,834/-(रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौंतीस) मात्र निम्नरुपेण हो जाती है-

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	पुनरीक्षित राशि (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	5,84,55,000/-	12,23,08,834/-	100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता के अनुसार scope of work को बढ़ाया गया है।
2	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	5,84,55,000/-	5,84,55,000/-	कार्य पूर्ण।
	कुल-	**11,69,10,000/-**	**18,07,63,834/-**	

क्रमशः

4– प्रस्तावित इस योजना को दिनांक–10.08.2018 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में मद संख्या–1 के रूप में सम्मिलित किया गया। समिति का निर्णय निम्नरुपेण है–

"विभागीय राज्यादेश सं0–884(1) दिनांक–11.08.2015, सह–पठित शुद्धि पत्र सं0–1073(1) दिनांक–18.09.2015 द्वारा स्वीकृत योजना में scope of work एवं प्राक्कलित राशि, दोनों में वृद्धि के उपरान्त प्रस्तावित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। मूल योजना मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री के आदेश से स्वीकृत है, अतः योजना के पुनरीक्षण में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाय।"

5– तदनुसार विभागीय स्थायी वित्त समिति के निर्णय के आलोक में योजना के स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

6– अतः अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 18,07,63,834/–(रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौंतीस) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7– यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं0–884(1), दिनांक–11.08.2015 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

8– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– इस योजना के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

11 बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

क्रमशः

13– आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–38/2018 के पृष्ठ–19/टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–38/2018–1375(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 6/12/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/जिलाधिकारी, गया, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव